ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद सं0–04 / 2019

मिथिलेश कुमार मेहता –बनाम–सुरेश प्रसाद मेहता

दिनांक	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद आवेदक मिथिलेश कुमार मेहता पिता स्व0 महादेव महतो निवासी साकिन कुटीपीसी, थाना ओ0पी0 पदमा, जिला हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आधार पर लाया गया है। उक्त वाद मौजा कुटीपीसी अन्तर्गत खाता संख्या 9, प्लॉट संख्या 2381, रकबा $0.01\frac{1}{9}$ ए0 एवं खाता संख्या 46, प्लॉट संख्या 2382, रकबा 0.08 ए0 भूमि पर लाया गया है, जिसमें राम कुमार महतो पिता रोहन महतो द्वारा गलत चौहदी दिखाकर विक्रय पत्र संख्या 5065 दिनांक 23.03.07 द्वारा विपक्षी सुरेश प्रसाद मेहता पिता जानकी प्रसाद को विक्रय कर दिया जबकि उक्त जमीन पर राज कुमार महतो दखलकार नहीं था। यह भी आवेदित है कि विपक्षी सुरेश प्रसाद मेहता द्वारा अंचल पदमा में दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया जिसको अचंल अधिकारी, पदमा द्वारा जांचोपरान्त दाखिल खारिज बाद संख्या 205 / 2008–09 को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध आवेदक (विपक्षी) द्वारा कोई अपील वाद नहीं लाया गया। 10 वर्ष के बाद विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी के मिलीभगत से बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के वाद लाये उक्त भूमि का जमाबंदी कायम कराकर रसीद निर्गत करा लिया गया है। आवेदक उक्त जमाबंदी को रद्द करने तथा लगान रसीद पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रक्रिया में दलील सुनने एवं आवेदन से संतुष्ट होते हुए वाद की प्रक्रिया शुरू की गई एवं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अपना कारणपृच्छा दाखिल करने के लिए कहा गया तथा अंचल अधिकारी, पदमा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित आवेदन को ही कारणपृच्छा के रूप में मान्य हेतु समर्पित किया गया है, जिसमें कहा है कि मौजा कुटीपीसी अन्तर्गत खाता संख्या 9, प्लॉट संख्या 2381, रकबा $0.01\frac{1}{9}$ ए0 एवं खाता संख्या 46, प्लॉट संख्या 2382, रकबा 0.08 ए0 भूमि से संबंधित है, जो रैयति खाते की भूमि है जिसमें खाता संख्या, 46 प्लॉट संख्या 2382 खतियानी स्व पनु महतो एवं खाता संख्या 9, प्लॉट 2381 किशुन महतो के नाम से खतियान दर्ज है। आवेदक का यह भी कहना है कि खाता संख्या 46, प्लॉट संख्या 2382 आज से 50 वर्ष पूर्व से ही घर–मकान बनाकर निवास कर रहा है, परन्तु रामकुमार महतो पिता स्व0 रोहन महतो से सुरेश प्रसाद मेहता पिता जानकी प्रसाद मेहता साकिन कुटीपीसी, थाना पदमा ओपी, जिला हजारीबाग द्वारा

दिनांक 22.03.2007 को भ्रमित कर केवाला संख्या 5065 करा लिया गया है, जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या 205/2008–09 द्वारा अचंल कार्यालय में दायर किया गया, जिसे जांचोपरान्त खारिज किया गया। यह भी कहना है कि बिना अपील में गये पुनः दाखिल खारिज वाद संख्या 162/2018–19 अंचल कार्यालय में लाया गया तथा कर्मचारी से मिलिभगत एवं अंचल अधिकारी पदमा को सही तथ्य नहीं बताते हुए दाखिल खारिज करवा लिया गया, जो नियम के अनुकूल नहीं है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का मकान अवस्थित है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी को रद्द करने तथा गलत ढ़ंग से निर्गत लगान रसीद को रोक लगाने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष को बार–बार नोटिस एवं निर्देश के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न अपना पक्षा रखा गया, जिसके कारण न्यायालय वाद को एकपक्षीय आदेश हेतु रखा गया।

उक्त वाद की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा उक्त भूमि का जांच प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख न्यायालय को पत्रांक 138 दिनांक 13.03.2021 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कुटीपीसी अन्तर्गत थाना संख्या 22, खाता संख्या 9, प्लॉट संख्या 2381, रकबा $0.01\frac{1}{9}$ ए0 एवं खाता संख्या 46, प्लॉट संख्या 2382, रकबा 0.08 ए0 कुल रकबा $0.9\frac{1}{2}$ ए0 भूमि रैयति खाते की भूमि है जो पंजी–2 के भौलूम संख्या 1, पेज संख्या में 54 में रोहन महतो, सोना महतो, फुलो महतो के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसका लगान रसीद खिरू महतो के नाम से निर्गत है। उक्त भूमि राजकुमार महतो पिता रोहन महतो के द्वारा केवाला संख्या 5065, दिनांक 22.03.2007 को सुरेश प्रसाद मेहता पिता जानकी प्रसाद मेहता को बिक्री कर दिया गया है। सुरेश प्रसाद मेहता पिता जानकी प्रसाद मेहता द्वारा दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन कार्यालय में जमा किया गया परन्तु उक्त भूमि पर सुरेश प्रसाद मेहता पिता जानकी प्रसाद मेहता का दखल नहीं होने तथा मिथिलेश कुमार मेहता पिता स्व0 महादेव महतो का दखल होने के कारण से दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था। सुरेश प्रसाद मेहता पुनः वर्ष 2018 में ऑनलाईन दाखिल खारिज वाद संख्या 162/2018–19 द्वारा दिया गया जिसे स्वीकृत किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि आवेदक मिथिलेश कुमार मेहता पिता स्व0 महादेव महतो के दखल कब्जा में है तथा मकान बना हुआ है।

उक्त वाद में प्रथम पक्ष का दलील सुनने एवं कागजातों के अवलोकन के पश्चात एवं अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं एल0सी0आर0 के समीक्षोंपरान्त यह स्पष्ट है कि दाखिल खारिज वाद संख्या 162/2018–19 में दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है। जिस न्यायालय में दाखिल खारिज वाद

संख्या 205/2008–09 को अस्वीकृत किया गया हो उसे पुनः उसी न्यायालय द्वारा बगैर अभिलेख एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश के दाखिल खारिज किया जाना गलत प्रतीत होता है। अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा नहीं है, जबकि प्रथम पक्ष मिथिलेश कुमार मेहता का मकान बना हुआ है। जबकि दाखिल खारिज में क्रेता का दखल कब्जा मुख्य बिन्दु माना जाता है। ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय से कोई यथा आदेश पारित नहीं होता, द्वितीय पक्ष सुरेश प्रसाद मेहता के जमाबंदी पर रोक लगाई जाती है। अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, पदमा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

21/3/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

21/3/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by Ajay Bhagat
Date: 2025.08.13 17:20:51 +05:30
Location: 192.168.1.36